

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक परीक्षा/1327
दिनांक: 18.09.2019

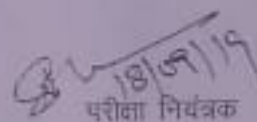
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा पिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित बी०यू०एम०एस० (एम०डी०/एम०एस०) पाठ्यक्रमों की दिनांक 17.09.2019 से प्रारम्भ होने वाली परीक्षाओं एवं अन्य समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को नकल विहीन सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से समस्त सम्बन्धित परीक्षाओं की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय सचल संतर्कता दल का गठन किया गया है :-

- | | | |
|-------|--|--------------|
| (i) | प्रो० शिवराज सिंह धुण्डीर, गणित विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (9897682738) | संयोजक |
| (ii) | डॉ० दुष्यन्त कुमार, अर्थशास्त्र विभाग, ए०एस० कालेज, लखनवटी (बुलन्दशहर) | (9456284350) |
| (iii) | डॉ० राजीव कौशिक, भौतिक विज्ञान विभाग, कें०के० जैन कालेज, खटीली | (9897872013) |

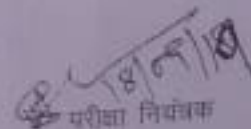
उपरोक्त दल के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया नकल विहीन, परीक्षा सम्पन्न कराने में विश्वविद्यालय का सहयोग प्रदान करें। किसी भी परीक्षा केन्द्र से नकल होने की सूचना प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार वहाँ पर जाकर औचक निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार एक टैक्सी तथा पारिश्रमिक देय होगा।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त केन्द्रीय सचल संतर्कता दल के सदस्यों को बी०यू०एम०एस० (एम०डी०/एम०एस०) एवं अन्य समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की समाप्ति तक तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4. केन्द्रीय सचल संतर्कता दल के संयोजक एवं समस्त सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित केन्द्र/महाविद्यालय में आवश्यक मानव संसाधन (विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/प्राचार्या एवं शिक्षक) उपलब्ध है अथवा नहीं कि जीव कर विश्वविद्यालय को अवगत करायेंगे।
5. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ।
6. उपकुलसचिव (गोपनीय/लेखा)।


परीक्षा नियंत्रक